

न्यायलय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर, जिला-...

तारीख
हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्सजज

.....गोबिन्द..... बनाम.....जसवंत सिंह.....
मु. नं. 190/21 (50)

12.11.24 पत्रावली पेश हुई। कतिभाषकों द्वारा कार्य स्थगन के आला न्यायिक कार्य नहीं हो सका। पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 31.12.24 को पेश हो। (50)

31.12.24 पत्रावली पेश हुई। वकील उभय पक्ष उपस्थित। बहस हेतु सब मौका और दिया जाता है। पत्रावली वास्तव में बहस दिनांक 7-1-25 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)

07/01/25 पत्रावली पेश हुई। पीछरीन अधिकारी डा. काफिरु पाठे बिना पत्रावली अधिसूचना काफिरु हेतु जयपुर पधारें। जिससे न्यायिक कार्य नहीं हो सका। पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 11.02.25 को पेश हो। (50)

11/02/25 पत्रावली पेश हुई। पत्रावली के बारे में आकाश सिलवाई गई। उभय पक्ष अनुपस्थित रहे। पत्रावली समूचे समय से बहस में लक्षित है। पत्रावली के बारे में निर्देशों के बावजूद पत्रावली में पत्रावली द्वारा बहस नहीं की जा रही है। एवं निर्देशों की अवहेलना की जा रही है। इससे स्पष्ट है कि पत्रावली पत्रावली में कोई कार्यवाही के लिए इच्छुक नहीं है। इसलिए पत्रावली पत्रावली के आदेश व शर्तों के पत्रावली से खारिज हो जाती है। पत्रावली केवल शुभारंभ के दाखिल पत्र हो।

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)